प्रकाशन का 41 वां वर्ष

शैल

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित
निष्पक्ष
एंव
निर्भीक
साप्ताहिक
समाचार

ई – पेपर
www.facebook.com/shailshamachar
प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 41 अंक – 17 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पर्जीकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-17 सोमवार 25 – 02 मई 2016 मूल्य पांच रूपए

माल रोड़ स्थित

होटल विलो बैंक में करोड़ों का पानी घोटाला लेकिन नगर निगम कारवाई से रही कतरा

होटल मालिक कोछड़ के अरूण जेटली के करीबी होने की चर्चा

शिमला/शैल। क्या शिमला के मालरोड़ स्थित होटल विलो बैंक का केन्द्रिय वित्त मन्त्री अरूण जेटली के साथ वास्तव में ही परोक्ष /अपरोक्ष में कोई संबंध है यह सवाल इन दिनो फिर चर्चा में है। स्मरणीय है कि हैरिटेज क्षेत्र में बना यह होटल अपने निर्माण के साथ भी चर्चा और विवाद में रहा है। इसको नियमित करने के लिये सरकार को निमार्ण के वाईलाज तक संशोधित करने पडे थे। तब यह चर्चा उठी थी कि इसके मालिक दिल्ली के सुन्दर नगर के निवासी एच एस कोछड़ के अरूण जेटली के साथ घनिष्ठ संबंध है और उन्होने कोछड़ की सहायता किये जाने की सिफारिश भी की है । सिफारिश का यह खुलासा उस वक्त चर्चा में आया था जब इसके निमार्ण के दौरान के दौरान आयी शिकायतों पर निगम ने मालिकों को काम रोकने के लिये 7-8-2000 , 25-01-2001 और फिर 24-03-2001 को नोटिस भेजे। जब इन नोटिसों पर काम नहीं रोका गया तब नगर निगम अधिनियम की धारा 294 के तहत इसके खिलाफ 07-04-2001 को कारवाई शुरू की गयी।07-04-200से 05-10-2002 तक करीब 18 महीने चली कारवाई में 26 बार यह मामला सुनवाई में आया और इसी दौरान इसका निर्माण कार्य पूरा करके 28-08-2002 इसकी कम्पलिशन प्लान सौप दी गयी।

इस कंपलिशन पर चार गंभीर एतराज लगे। पहला एतराज था कि यह निमार्ण सरकार के आदेश TCF(6) 40193 दिनांक 01-06-99 और नगर निगम के आदेश 169/ AP दिनांक 08-06-99 की अवहेलना में किया गया है। दूसरा एतराज था कि माल रोड़ के साथ ओर ऊपर तीन मंजिलें बना ली गयी । तीसरा था कि कुल तीन मंजिलों की स्वीकृति थी जिसमें मालरोड़ से ऊपर केवल एक मंजिल बननी थी तबकि पार्किंग ब्लाक में ही पांच मंजिले बना ली गयी जिसमें तीन को बन्द करके दो को सीढियों से होटल के साथ जोड़ दिया गया । 09-10-2002 को निगमायुक्त द्वारा सरकार को भेजी रिपोर्ट में चौथा एतराज प्लान ओवर राईटिंग और टेंपरिंग का लगाकर संबंधित अधिकारियों /कर्मचारियों के खिलाफ कारवाई किये जाने की सिफारिश की गयी । लेकिन 04-02-2004 को निगम के सयुंक्त आयुक्त ने पांचवी और छठी मंजिल की कंपाऊडिंग फीस तय कर दी तथा साथ ही यह भी लिख दिया कि इन्हे कंपाऊड नही किया जा सकता। इस पर कोछड ने CWP 625/ 2003 डालकर उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा दिया । उच्च न्यायालय का फैसला 02-09-2003 को आया और उसमें स्पष्ट कहा गया कि दूसरी मंजिल तक हुई अनियमिताओं की फीस ले ली जाये लेकिन पांचवी और छठी मंजिल के किसी भी तरह के उपयोग की अनुमति नहीं दी जा सकती।

इसके बाद सरकार ने 28-02-11 को संशोधित वाईलाज अधिसूचित कर दिये। इस पर कोछड़ ने फिर निगम को कंपालिशन प्लान सौंपा जिसे निगम की सिंगल अम्बरेला कमेटी ने 28-06-12 की बैठक में अस्वीकार कर दिया । इस पर कोछड फिर उच्च न्यायालय पहुंच गया उच्च न्यायालय ने 28-05-12 को विभाग के सचिव को मामले की सुनवाई के निर्देश दिये ।इन निर्देशों पर अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बतौर अपील अथारिटी कोछड की अपील को संशोधित वाईलाज के नियम 4.9 के तहत स्वीकार कर लिया। उच्च न्यायालय का पहला फैसला 02-09-2003 को आया और संशोधित वाईलाज 28-02-11 को अधिसूचित हुए। इससे साफ हो जाता है कि नगर निगम को 02-09-2003 के बाद अवैध निर्माण को गिराने की कारवाई करनी जो कि नहीं हुई। उच्च न्यायालय के फैसले के बाद करीब आठ वर्ष तक निगम ने कारवाई नहीं की। सरकार भी खामोश रही बल्कि वाईलाज बदले गये। स्वाभाविक है कि यह सब किसी बडे के ही दबाव में हुआ होगा।

अब नगर निगम ने 2003 से लेकर अब तक इस होटल का काम पानी के आठ घरेलू कनैक्शनों के सहारे चलते रहने का वाटर घोटाला पकडा है। जबकि पानी के कनैक्शन कमर्शियल होने चाहिये थे। इस वाटर घोटाले की जानकारी मिलने पर निगम की लॉ ब्रांच से राय लेकर होटल के खिलाफ 2,63,76,202 रूपये की रिकवरी 31 मार्च 2015 तक की निकाली है। कानूनी शाखा से सितम्बर 2015 में राय आ गयी थी जिस पर इतने एरियर का नोटिस तैयार कर दिया गया है लेकिन यह नोटिस अभी तक भेजा नही गया है और ना ही पानी के कनैक्शन बदले गये है। स्मरणीय है कि सितम्बर 2003 में 25 कमरो से शुरू हुए इस होटल में 2007 और 2008 में दस दस कमरे और जुडे। जब यह कमरे जुडे तब इनमें भी पानी

.....शेष पृष्ठ 8 पर

जारी रहेगी अपराजिता और विक्रमादित्य की नकदी की अटैचमैन्ट

ई डी अधिनियम में 2013 में हुए संशोधन से 173 Cr.PC के तहत रिपोर्ट की अनिवार्यता नहीं

शिमला/शैल। सीबीआई और ईडी की जांच झेल रहे मुख्यमन्त्री वीरभद्र सिंह के खिलाफ सी बी आई और ई डी मे अलग-अलग एफ आई आर दर्ज है। इनमें वीरभद्र सिंह प्रतिभा सिंह आनन्द चौहान और चुन्नीलाल तथा अन्य नामित हैं । लेकिन दोनो एफ आई आर में वीरभद्र की बेटी अपराजिता सिंह और बेटा विक्रमादित्य सिंह नामित है। परन्तु ई डी ने 23-03-16 को मनीलॉडरिंग एक्ट की धारा 5 (1) के तहत कारवाई करते हुए अपराजिता के 15,85,639 रूपये और विक्रमादित्य के 62,86,639 रूपये अटैच कर लिये । अटैचमैन्ट की इस कारवाई से आहत होकर इन दोनो ने ई डी की कारवाई को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती देते हुए इस कारवाई को निरस्त करने और ई डी अधिनियम की धारा 5 को असंवैधानिक करार देने की गुहार लगाई है। इनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने अटैचमैन्ट के आदेश को यथावत जारी रखते हुए अटैचमैन्ट से जुडी अगली कारवाई पर रोक लगा दी है। यह पूरा प्रकरण इस समय प्रदेश के राजनीतिक और प्रशासनिक हल्कों में एक ऐसा मुद्दा बना हुआ है जिससे पूरा प्रदेश प्रभावित हो रहा है इस परिदृश्य में हर आदमी की नजर इस मुद्दे पर बनी हुई है और इसे समझने के लिये प्रयासरत है। क्योंकि यदि इस मामले में अपराजिता और विक्रमादित्य को वांच्छित राहत मिल जाती है। तो इसका असर सी बी आई और ई डी में वीरभद्र तथा अन्य के खिलाफ चल रहे मामलों पर सकारात्मक पड़ेगा यदि राहत न मिली तो नकारात्मक पडेगा यह तय है।

मनीलॉडरिंग अधिनियम 2002 में आया था उस समय उसकी धारा 5 के तहत अटैचमैन्ट की कारवाई के लिये जो आवश्यक प्रावधान रखे गये थे उनके मुताबिक सी आर पी सी की धारा 173 के तहत मैजिस्ट्रेट के पास रिपोर्ट फाईल होना आवश्यक था। अपराजिता सिंह तथा विक्रमादित्य के खिलाफ ई डी की ऐसी कोई रिपोर्ट 173 सी आर पी सी के तहत मैजिस्ट्रेट के पास नहीं है। लेकिन इस अधिनियम की धारा 5 में चार जनवरी 2013 को अधिसूचित संशोधन के तहत 173 के तहत रिपोर्ट की अनिवार्यता नही रह गयी है In Section 5 of the principal Act, for Sub-section (1) the following sub-section shall be substituted, namely :-

(1) "Where the Director or any other officer not below the rank of Deputy Director authorised by the Director for the purposes of this section has reason to believe (the reason for such belief to be recorded in writing), on the basis of material in his possession, that-

(a) Any person is in possession of any proceeds of crime; and

(b) Such proceeds of crime are likely to be concealed, transferred or dealt with in any manner which may result in frustrating any proceeding relating to confiscation of such proceeds of crime under this Chapter,

he may, by order in writing provisionally attach such property for a period not exceeding one hundred and eighty days from the date of the order, in such manner as may be prescribed:

Provided that no such order of attachment shall be made unless, in relation to the scheduled offence, a report has been forwarded to a Magistrate under section 173 of the Code of Criminal Procedure, 1973, or a complaint has been filed by a person authorised to investigate the offence mentioned in that Schedule, before a Magistrate or court for taking cognizance of the scheduled offence, as the case may be, or a similar report or complaint has been made or filed under the corresponding law of any other country: Provided further that, notwithstanding anything contained in clause (b), any property of any person may be attached under this section if the Director or any other officer not below the rank of Deputy Director authorised by him for the purposes of this section has reason to believe (the reason for such belief to be recorded in writing), on the basis of material in his possession, that if such property involved in money – laundering is not attached immediately under this Chapter the non- attachment of the property likely to frustrate any proceeding under this Act"

.....शेष पृष्ठ 8 पर

CM रिलीफ फंड में जमा हुआ 38 करोड़ 40 लाख

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री राहत कोष से राज्य में पिछले तीन वर्षों के दौरान चिकित्सा उपचार तथा आपातकाल के दौरान खर्चों को पूरा करने के लिये 18,273 पात्र व्यक्तियों को 36,63,92,315 रुपये की राशि प्रदान की गई है। वित्त वर्ष 2013 – 14, 2014 – 15 तथा 2015 – 16 के दौरान इस निधि से 5495 जरुरतमन्द लोगों को 13,39,99,892 रुपये की राशि वितरित करने के साथ – साथ 5840 व्यक्तियों को 11,35,44,986 रुपये की वित्तीय सहायता तथा 6938 व्यक्तियों को 11,88,47,437 रुपये का लाभ प्रदान किया गया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान निजी तौर पर, कंपनी निकायों तथा विभिन्न संगठनों से मानवीय प्रयोजन के लिये 38,40,50,485 रुपये की राशि अंशदान के रूप में प्राप्त हुई है।

राज्य सरकार समय – समय पर नागरिकों, कंपनियों तथा संगठनों को इस निधि में उदारतापूर्वक दान करने का आग्रह कर रही है क्योंकि यह धनराशि अस्वस्थ एवं व्यथित गरीब लोगों को राहत पहुंचाने के लिये वितरित की जाती है, विशेषकर जब इन लोगों को सहायता का अन्य कोई साधन उपलब्ध नहीं होता। जिम्मेवार नागरिक होने के नाते हम सभी को इस निधि में अंशदान के लिये लोगों को प्रेरित करना चाहिए। निधि में केवल स्वेच्छा से योगदान किया जाता है।

इस निधि के लिये अंशदान 'मुख्यमंत्री राहत कोष' हिमाचल प्रदेश, शिमला – 171002 में चेक, बैंक ड्राफ्ट, नकद अथवा हि.प्र. राज्य सहकारी बैंक के खाता संख्या 4060100315 (आईएफएससी कोड – वाईईएस बी0एच पीबी06) में इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण से किया जा सकता है। इस निधि में किया गया अंशदान आयकर अधिनियम की धारा 80 – जी के अन्तर्गत पूरी तरह से आयकर मुक्त है तथा इस छूट के लिये इसका पैन नम्बर एएबीटीसी5563बी है।

इस राशि के अन्तर्गत तकनीकी अथवा व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण कर रहे उत्कृष्ट गरीब विद्यार्थियों को भी राहत प्रदान की जा रही है। अनुसूचित जाति से सम्बन्ध रखने वाले विद्यार्थियों को बेशक वे पाठ्न में उत्कृष्ट नहीं हैं, की सहायता के लिये भी मुख्यमंत्री सहानुभूतिपूर्वक विचार कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री राहत कोष से ऐसी विधवाओं, जिनके पास अपने बच्चों का भरण – पोषण करने के लिये आय का कोई साधन नहीं है, कवियों एवं विद्वानों जिन्होंने राष्ट्र के लिये उत्कृष्ट सेवाएं दी हैं, को भी सहायता प्रदान की जा रही है। इसके अतिरिक्त, प्राकृतिक आपदाओं के कारण क्षति से जूझ रहे व्यक्तियों, परिवार में कमाने वाले व्यक्ति के आकस्मिक निधन, गम्भीर बीमारियों में चिकित्सा उपचार तथा किसी भी प्रकार के अन्य मामले जहां मुख्यमंत्री मांग की उपयुक्तता को देखते हुए निजी तौर पर संतुष्ट हो, ऐसे विशेष मामलों में भी इस निधि से सहायता प्रदान की जा रही है।

इस प्रकार की करुणा एवं सहानुभूति का एक छोटा सा प्रयास अनमोल जीवन के लिये संजीवनी साबित हो सकता है और इस प्रकार की संवेदनशीलता हम सभी में होनी आवश्यक है ताकि हम जिस समाज में रह रहे हैं, उसके लिये कुछ योगदान कर सके और आवश्यकता पड़ने पर एक दूसरे की सहायता कर सके। मुख्यमंत्री राहत कोष संकट की घड़ी में गरीबों और जरूरतमंद लोगों की सहायता करने के इस उद्देश्य में हमें प्रेरित करता है।

स्वास्थ्य मंत्री ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा एनईईटी आयोजित करने के आदेश का स्वागत किया

शिमला/शैल। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जे पी नड्डा ने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का स्वागत किया है जिसमें माननीय न्यायालय ने इस साल एमबीबीएस और पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल पाठयक्रमों में दाखिले के लिए नेशनल एलिजिबिलिटी – कम – एन्ट्रेंस टेस्ट (एनईईटी) कराने को कहा है।

स्वास्थ्य मंत्रालय का लक्ष्य एमसीआई और सीबीएसई को भी इसी प्रकार की प्रवेश परीक्षा का संचालन करने में सक्षम बनाना है। नड्डा ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय लंबे समय से इस तरह के प्रयास कर रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का वर्तमान आदेश इस महत्वपूर्ण लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मंत्रालय द्वारा किए जा रहे प्रयासों को और मजबूत करेगा। उन्होंने कहा, यह एक ऐतिहासिक निर्णय है।

जनता पानी को परेशान मेयर 10 पार्षदों के साथ मलेशिया दौरे पर

शिमला/शैल। हिलोपा ने नगर निगम के काम करने पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि मेयर 10 पार्षदों के साथ मलेशिया दौरे पर शहर से रवाना हो गए और जनता पानी और अन्य सुविधाओं के लिए तरस रही है। जनता से गुंडा टैक्स वसूल कर उस पैसे पर मौज मस्ती करने का क्या औचित्य है। उन्होंने कहा कि सड़क पर थूकने का जुर्माना 500 रूपए रखा है।

उन्होंने कहा कि फड़ी फेरी वालों पर कोई कार्रवाई करना चाहता है तो उन्हे पहले फोन कर देते हैं और फड़ी फेरी वाले इधर उधर भाग जाते हैं, नगर निगम, जिला आयुक्त लक्कड़ बाजार चौकी व सदर थाने के पास इन फड़ी वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती इन्हें किसका संरक्षण है। उन्होंने कहा कि उपरोक्त कुछ मुद्दों पर तो माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की भी सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है और अधिकारियों पर न्यायायल कि अवमानना का मामला भी बनता है। उन्होंने कहा कि अगर निगम व प्रशासन का यही व्यवहार जनता से रहा तो जनता किसी भी प्रकार का टैक्स व सैस नहीं देगी।

प्रेस क्लब शिमला के आम चुनाव मई महीने के दूसरे सप्ताह तक करवाने का

शिमला/शैल। प्रेस क्लब शिमला की संचालन परिषद ने निर्णय लिया है। संचालन परिषद के निर्णय के मुताबिक वरिष्ठ पत्रकार सुशील शर्मा मुख्य चुनाव अधिकारी होंगे जबकि दैनिक भास्कर के यूनिट हेड साहिल शर्मा को चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया है। आज से ही प्रेस क्लब शिमला का संचालन इन दोनों चुनाव अधिकारियों के हाथों में दे दिया गया है ताकि वह चुनाव प्रक्रिया को सुचारू व निष्पक्ष ढंग से पूरा कर सकें।

शैल समाचार संपादक मण्डल

संपादक – बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक – जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार – ऋचा
अन्य सहयोगी
सुशील
रजनीश शर्मा
भारती शर्मा
राजेश ठाकुर
सुदर्शन अवस्थी
सुरेन्द्र ठाकुर
रीना

HIMACHAL PRADESH
PUBLIC WORKS DEPARTMENT
E-Procurement Notice
" INVITATION FOR BIDS(IFB) "

The Executive Engineer HPPWD Barsar Division H.P on behalf of Governor of H.P invites the item rte bids, in electronic tendering system , for the following works from the eligible and approved contractors registered with HPPWD:-

1. **Name of Work**:- Contractors of Two Nos Class room with Varandah at Govt. Sen. Sec. School at Garli Distt. Hamirpur (Sh:- C/O Two Nos class Room with verandaha) Deposit work Estimated cost :-16,64,670/- Earnest Money :- 32,500/- Cost of tender form :- 500 /- Time limit :- One Years (Class D).

2. **Date of release of Invitation for Bids Through e-Procurement** : 25- 05-2016 from 10.30 A.M.

3. **Cost of Bid form**:- Rs. 500/- (Non- refundable) only in form of demand draft on favour of Executive Engineer HP.PWD., Barsar.

4.**Availability of Bid Document and mode of submission :** The Bid Document is available online and bid should be submitted online on website http://hptenders.gov.in bidder would be required to register in the web site which is free of cost . For submission of bids, the bidder is required to have Digital Signature Certificate (DSC) from one of the authorized Certificate Authorities (CA) . "Aspiring bidders who have not obtained there ID and password for participating in E- tendering in HPPWD may obtain the same from the website: http:// hptenders.gov.in Digital Signature is mandatory to participate in the e- tendering . Bidders already possessing the Digital signature issued from authorized CAs can use the same in this tender.

5.**Submission of original documents**:- The bidder are required to submit (i) Original demand draft towards the cost of bid document and (ii) Original Earnest money in the approved from duly pledged in the name of Executive Engineer, Barsar Division, HP.PWD., Barsar. (iii) All required Affidavit in original.

The above documents shall be submitted by the contractor on the date od opening of the bid failing which tender will not be opened.

6. **Last date / Time for Receipt of bids through e-tendering** :- 13-06-2016 up to 10.30 A.M.

7. The site for the work is available .

8. Only online submission of bids is permitted, therefore; bids must be submitted online on website http://hptenders.gov.in. The bids shall be opened on 13-06-2016 at 11.00 A.M. in the office Executive Engineer Barsar Division H.P.P.W.D. , Barsar (H.P) by the authorized officer. In the Interest of tenders are advised to be present along with original documents at the time of opening of tenders. If the office happens to be closed on the date of opening of the bids as specified, the bids will be opened on the next working day at the same time and venue.

9. The bids for work shall remain valid for acceptance for a period not less than One hundred twenty days after the deadline date for bid submission.

10. Other details can be seen in the bidding document s. The officer inviting tender shall not be held liable for any delays due to system failure beyond its control. Even though the system will attempt to notify the bidders of any bid updates. It is the bidders' responsibility to verify the website for the latest information related to the tender.

Adv. No.-0275/16-17 HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK

HIMACHAL PRADESH
PUBLIC WORKS DEPARTMENT

Sealed item rate tender are hereby invited by the Executive engineer, Shimla Rural Division, H.P.P.W.D. , Dhami on behalf of the Governor of Himachal Pradesh , on the prescribed form the eligible and experienced contractors/ Firms of appropriate class enlisted with Himachal Pradesh Public Works Department .

1. The last date of receipt of application for tender form.	Upto 25-05-2016	at	4.00 PM
2. The last date of issue of tender form	Upto 25-05-2016	at	4.00 PM
3. The last date of receipt of tender.	Upto 27-05-2016	at	10.30 AM
4. The date of opening of tender.	Upto 27-05-2016	at	11.00 AM

The tender form can be obtained against payment of Rs. 350/- (Rs. Three hundred and fifty) only (non refundable) and contractor will be required to produce documents of registration in appropriate class, list of completed works and sale Tax registration certificate . the tenders shall be opened in the presence of contractors or their representative.

The Earnest money in the shape of National saving Certificate / Time Deposit Account / FDR of Nationalized bank dully pledged in the favour of the Executive Engineer, Shimla rural Division, HPP,PWD., Dhami , must accompany with the application form for the tender offer . The received without earnest money for each work in the prescribed mode and so also the conditional / telegraphic / ambiguous tender shall not be entertained and the Executive Engineer , reserve the right to reject the conditional / telegraphic / ambiguous tender without assigning any reason there to. Also tender send by Fax / e -mail shall not be entertained / considered and will summarily be rejected.

The request for issue of tender should be on the PRESCRIBED APPLICATION which can be obtained from the office of undersigned on the above mentioned date and time and tender will be issued only to those contractors who qualify the criteria, after the scrutiny of application form. The request on prescribed application should accompany the registration of appropriate class, (attested copy attached) Sale Tax, Registration No., and work done certificate for similar nature of work.

The validity of tender have been given in the tender document . If any contractor / firm withdraws the offer within validity period then his earnest money shall be forfeited and shall finally be at the disposal of State Government . The contractor is advised to write the rate both in figures and in words, failing which the tender shall be rejected straight way . The tender will be issued only those contractors who have successfully completed similar nature during the last three years. The contractor will give an undertaking that he will be arrange the road roller by himself.

Sr. No.	Name of work	Estimated Cost (Rs)	Earnest Money (Rs)	Cost of Tender form (Rs)	Class	Completion Period
1.	M/T on Banuti Pahal road via Nalag Km. 0/00 to 5/00 (SH:- Providing M/T in Km. 2/00 to 3/00 and 4/00 to 4/500).	Rs. 7,34,746/-	Rs. 14,700/-	350/-	Two	Months
2.	C/O Bakag ki Ghatti to Banwi road Km. 0./00 to 1/200). (SH:- P/L WBM Mettaling and Tarring in Km. 0/00 to 0/200).	Rs. 3,29,710/-	Rs. 6,600/-	350/-	Two	Months

Adv. No.-0276/16-17 HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK

पर्यावरणीय सेवाएं बनाये रखने के एवज् में हिमाचल ने केन्द्र से अतिरिक्त अनुदान राशि की मांग की

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश के वन मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी ने नई दिल्ली में पारिस्थितकीय संतुलन एवं जैव-विविधता के महत्व पर आयोजित एक कार्यशाला में भाग लेते हुए प्रदेश में वनों का संरक्षण करने और पूरे उत्तरी क्षेत्र के लिए पर्यावरणीय सेवाएं

बनाए रखने के एवज् में प्रदेश को अतिरिक्त अनुदान राशि प्रदान करने का मुद्दा उठाया । जी.आई.जैड. के सहयोग से आयोजित इस राष्ट्र स्तरीय कार्यशाला में विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि तथा विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं।

हिमाचल प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में किये जा रहे कार्यो का उल्लेख करते हुए वन मंत्री ने कहा कि प्रदेश में हरे वृक्षों के कटान पर पूर्ण प्रतिबंध लगा हुआ है जिससे प्रदेश की बहुमूल्य वन सम्पदा का संरक्षण संभव हो सका है। उन्होंने कहा कि इन प्रयासों से न केवल हिमाचल प्रदेश को लाभ पंहुचा है बल्कि पूरे उत्तरी राज्यों पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। उन्होंने कहा कि यह आवश्यक है कि हिमाचल को इन सेवाओं के एवज में संसाधन की भरपाई के लिए अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध करवाई जाए।

जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों के कारण पेश आ रही चुनौतियों पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए ठाकुर सिंह भरमौरी ने कहा कि प्रदेश में पर्यावरण सम्बंधी समस्याओं से निपटने के लिए अनेक परियोजनाएं आरम्भ की हैं जिसमें जर्मन बैंक (KfW) के सहयोग से कांगड़ा व चम्बा जिलों के लिए आरम्भ की गई 316 करोड़ की परियोजना प्रमुख है । उन्होंने आशा व्यक्त की कि इस परियोजना से जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने, जैव विविधता को बढ़ाने तथा स्थानीय लोगों को आजीविका कमाने के अवसर मिल सकेंगे।

प्रदेश में पर्यावरण सेवाओं के मूल्यांकन तथा वनों की निगरानी के उद्देश्य से आरम्भ की गई 38 करोड़ रूपए की जी.आई.जैड. नामक एक अन्य परियोजना का उल्लेख करते हुए वन मंत्री ने कहा कि इन सभी प्रयासों से प्रदेश को हरा-भरा बनाये रखने में और भी सहयोग मिलेगा।

राज्य में बंदरों व आवारा पशुओं के बढ़ते आतंक पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए वन मंत्री ने कहा कि इन समस्याओं से निपटने के लिए हालांकि राज्य सरकार प्रयास कर रही है, परन्तु इसमें केन्द्र सरकार के सहयोग की आवश्यकता है। उन्होंने विशेषज्ञों से आग्रह किया कि इस सम्बंध में अगर उनके पास कोई सुझाव हो तो राज्य सरकार उन पर कार्य करने को तैयार है। उन्होंने प्रदेश में फैल रहे लैनटाना घास की समस्या का मुद्दा भी उठाया।

इस कार्यशाला में वन विकास निगम के उपाध्यक्ष केवल सिंह पठानिया तथा वन विभाग के मुख्य निदेशक परियोजना डा. सुरेश, निदेशक परियोजना पुष्पेन्दर राणा तथा अन्य अधिकारियों ने भी भाग लिया।

गरीब और होनहार छात्रों का डाक्टर बनने का सपना होगा अब साकार

शिमला/शैल। गरीब और होनहार छात्रों का भारत में डाक्टर बनने का सपना इसी वर्ष से अब साकार हो सकेगा क्योंकि एन.ई.ई.टी. के तहत इसी वर्ष से राष्ट्रीय योग्यता व प्रवेश परीक्षा के तहत देश के सभी स्वास्थ्य पाठयक्रम सरकारी व गैर सरकारी संस्थानों में प्रवेश एन.ई.ई.टी. के माध्यम से होंगे जिसके लिए देश की सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 28 अप्रैल को आदेश पारित कर दिए गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रोजेक्ट क्लीन के संयोजक व आर.टी.आई. एक्टीविस्ट सुरेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि गत वर्ष सितंबर माह में उन्होंने यू. पी. का एम.बी.बी.एस. प्रवेश घोटाला न केवल उजागर किया था बल्कि देश के स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा व उनके उच्चाधिकारियों को घोटाले के सबूत भी दिए थे परंतु स्वास्थ्य मंत्री द्वारा घोटाले को अप्रत्यक्ष रूप से दबाने की कोशिश की गई, जिस पर सुरेंद्र हुड्डा ने प्रधानमंत्री के कार्यालय को घोटाले में हस्तक्षेप कर उचित कार्यवाही की मांग की थी तथा स्वास्थ्य मंत्री को केंद्रीय केबिनेट से हटाने की भी मांग की थी। इतना ही नहीं उनके द्वारा स्वास्थ्य मंत्रालय पर भ्रष्टाचार रोकने के लिए निरंतर गत एक वर्ष से दबाव बनाया जा रहा था जिसका परिणाम मौजूदा न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय है।

सोनिया गांधी प्रदेश में हो रहे विकास कार्यों से सन्तुष्ट

शिमला/शैल। वन मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी तथा वन विकास निगम के उपाध्यक्ष केवल सिंह पठानिया ने दिल्ली में कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गाधी से भेंट कर उन्हें प्रदेश में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के नेतृत्व में हो रहे विकास कार्यों व राजनैतिक गतिविधियों के बारे में अवगत करवाया। इन नेताओं ने कहा कि प्रदेश में सभी क्षेत्रों का संतुलित विकास किया जा रहा है। हाल ही में धर्मशाला नगर निगम चुनावों में कांग्रेस को मिली भारी विजय से पार्टी को नया जोश मिला है, जो कि प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों पर लोगों की मोहर है। भरमौरी व पठानिया ने सोनिया गांधी को अवगत करवाया कि भाजपा नेताओं द्वारा राज्य सरकार को अस्थिर करने के जो प्रयास केन्द्र की एनडीए सरकार द्वारा किए जा रहे हैं, उसका प्रदेश में कांग्रेस एकजुटता से मूंहतोड़ जाबव दे रही है। प्रदेश के विकास कार्यो को देखकर भाजपा बौखलाई हुई है और इसी बौखलाहट में वह आए दिनों मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के खिलाफ षड़यंत्र रचते रहे हैं। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने उन्हें केन्द्र सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ प्रदेशवासियों को अवगत करवाने और एकजुटता से प्रदेश के विकास कार्यों को जारी रखने का आह्वान किया। सोनिया गांधी ने प्रदेश में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के नेतृत्व में हो रहे विकास कार्यों पर संतोष व्यक्त किया।

जम्मू एवं कश्मीर विधान सभा के उपाध्यक्ष ने हिमाचल प्रदेश ई-विधान प्रणाली की जानकारी ली

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश

राज्य के अध्ययन प्रवास पर शिमला आए जम्मू-कश्मीर विधान सभा के उपाध्यक्ष नजीर अहमद गुरेजी ने हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय पहुंच कर सदन को देखा तथा यहाँ स्थापित देश की सर्वप्रथम ई-विधान प्रणाली का अवलोकन किया। विधान सभा सचिव सुन्दर सिंह वर्मा तथा निदेशक सूचना प्रोद्यौगिकी हिमाचल प्रदेश विधान सभा धर्मेश कुमार शर्मा ने उपाध्यक्ष महोदय को ई-विधान प्रणाली बारे अवगत करवाया। उन्होंने ई-विधान से होने वाले फायदे तथा कार्य प्रणाली की जम्मू एवं कश्मीर विधान सभा उपाध्यक्ष को भरपूर जानकारी दी।

इस अवसर पर खुशी जताते हुए नजीर अहमद गुरेजी ने कहा कि यह एक पर्यावरण मित्र प्रणाली है जिसे सभी को अपनाना होगा। उन्होंने कहा कि वह इसे जम्मू-कश्मीर विधान सभा में स्थापित करने के लिए राज्य की मुख्य मंत्री तथा विधान सभा अध्यक्ष से बात करेंगे। नजीर अहमद गुरेजी ने कहा कि यहाँ स्थापित प्रणाली से प्रतीत होता है कि कागज का कार्य पूरी तरह समाप्त हो जायेगा तथा सरकारी कार्यो में तीव्रता व दक्षता आयेगी। उन्होंने इसे हिमाचल प्रदेश विधान सभा में स्थापित करने के लिए हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री वीरभद्र सिंह तथा हिमाचल प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष बृज बिहारी लाल बुटेल को बधाई दी तथा इसे जम्मू-कश्मीर विधान सभा में स्थापित करने के लिए सहयोग भी मांगा। उन्होंने सदन के रख-रखाव की भी भरपूर प्रशंसा की।

कॉमन मेडिकल एंट्रेन्स टेस्ट के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत

शिमला/शैल। नवभारत एकता दल ने पुरे देश में कॉमन मेडिकल एंट्रेन्स टेस्ट लेने की सुप्रीम कोर्ट द्वारा व्यवस्था बनाने के निर्णय का स्वागत किया है दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पीसी विश्वकर्मा ने इसे गरीब परिवारों के बच्चों के लिये फायदेमंद व्यवस्था बताया क्योंकि अलग अलग परीक्षा होने से अभिभावकों को अनेक जगहों पर बच्चों के साथ विशेष कर लड़कियों के साथ जाना पड़ता था अलग फॉर्म भरने का खर्च भी अधिक होता। विश्वकर्मा ने कहा कि निजी संस्थानों में तो सीटें पैसे से आरक्षित हो जाती थीं ऐसे में गरीब मेधावी छात्रों के साथ अन्याय होता था।

नवभारत एकता दल एक ही राष्ट्रीय मेडिकल पात्रता प्रवेश परीक्षा का जोर दार पक्षधर है क्योंकि इस प्रक्रिया से अयोग्य पैसे के बुते दाखिला लेने वालों के लिए द्वार बन्द हो गे अब परीक्षा की विश्वसनीयता सुनिश्चित करनी होगी ताकि न पेपर लीक हों न अयोग्य छात्र की परीक्षा किसी दूसरे से कोई दिलवा पाये मूल्यांकन में हेरा फेरी न हो और जो योग्य छात्र छात्राएं है उनके साथ कोई अन्याय न कर सके। नीट सचमुच नीट एंड क्लीन परीक्षा होनी चाहिये।

अनुराग ठाकुर ने विपरीतलिंगी सामुदाय के हकों का मुद्दा संसद में उठाया

शिमला/शैल। लोकसभा की कार्यवाही में गैर-सरकारी बिल पर बोलते हुए अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि विपरीत लिंगी सामुदाय का अस्तित्व मानव जाति की उत्पत्ति के समय से हर संस्कृति, जाति एवं श्रेणी में रहा है। परन्तु भारत में यह समुदाय हमेशा मानसिक और यौन उत्पीड़न का शिकार रहा है और समाज में कई समस्याओं का सामना करते आ रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने इस समुदाय के हकों की वकालत करते हुए कहा कि उन्हें समाज में उनकी सहभागिता की पूर्ण स्वतन्त्रता होनी चाहिए और गरिमामयी जीवन व्यतीत करने की पूर्ण स्वतन्त्रता होनी चाहिए और बिना किसी भेद-भाव की स्वायत्तता होनी चाहिए।

ठाकुर ने यह भी कहा कि अगर उन्हें किसी समस्या के समाधान हेतु पुलिस या चिकित्सालय की सहायता की आवश्यकता पड़ती है तो वह भी उन्हें प्राप्त नहीं होती। इस विषय के सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय ने अप्रैल, 2014 में एक ऐतिहासिक निर्णय में विपरीत लिंग समुदाय को तीसरे लिंग का दर्जा दिया था। इस निर्णय का पालन करते हुए केन्द्रीय सरकार ने कई ठोस कदम उठाए और एक विशेषज्ञों की समिति का गठन भी किया और इस समुदाय के कल्याण हेतु कई योजनाओं की घोषणा की।

अनुराग ठाकुर ने इस चर्चा में आगे बोलते हुए कहा कि भारत के संविधान में हर नागरिक को समान अधिकार उपलब्ध करवायें हैं और सदन से अनुरोध किया कि हमें केवल राजनीतिक फायदा उठाने के लिए ही चर्चा नहीं करनी चाहिए बल्कि इस समुदाय के उत्थान के बारे सुधारात्मक कदम उठाने चाहिए।

चनावग में कॉमर्स कक्षाएं शुरू होने पर जताया आभार

शिमला/शैल। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चनावग में इसी सत्र से कॉमर्स की कक्षाएं शुरू होगी। सरकार द्वारा अधिसूचना जारी होने से क्षेत्रवासियों ने खुशी जताई है। कॉमर्स विषय चनावग में शुरू होने पर अब विद्यार्थियों को दूर पढने नहीं जाना पड़ेगा जिससे अभिभावक भी खुश हैं। राज्य युवा बोर्ड सदस्य बेसरदास हरनोट ने कहा कि सरकार के इस फैसले से पंचायत प्रधान सुनीता हरनोट, बीडीसी मेम्बर माठू राम, उपप्रधान पवन शर्मा, वार्ड सदस्य जगत राम, तारा शर्मा, लीला दत्त, रीता, मनोरमा, बूथ कांग्रेस अध्यक्ष जयप्रकाश शर्मा, लीला दत्त सहित ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह व युकां अध्यक्ष विक्रमादित्य सिंह का आभार प्रकट किया है।

वो जो मेहनत से काम करता है उसे कभी निराश होने की जरुरत नहीं है, क्योंकि सभी चीजें परिश्रम एवं श्रम से प्राप्त की जाती हैं।

सम्पादकीय

प्रधान न्यायाधीश के आसूं

पिछले दिनों राज्यों के मुख्यमंत्रीयों और देश के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों का सम्मेलन था। विधि मन्त्रालय द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में देश के सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश, देश के प्रधानमन्त्री और कानूनी मन्त्री शिरकत कर रहे थे। सम्मेलन में देश की न्यायव्यवस्था चिन्तन और चिन्ता का विषय थी। इस अवसर पर प्रधान न्यायधीश अपने संबोधन में इतने भावुक हो गये की उनकी आखों से आसूं छलक आये। प्रधानमंत्री इस भावुकता से इतने संवेदित हो गये की उन्होने भी इस सम्मेलन को संबोधित करने और प्रधान न्यायाधीश के आसूओं का जवाब देने के लिए इस सम्मेलन को सबोंधित करने का फैसला लिया। सम्मेलन में पूरी न्यायव्यवस्था की जो तस्वीर प्रधान न्यायधीश ने देश के सामने रखी है वह निश्चित तौर पर गंभीर चिन्ता और चिन्तन का विषय है। यह व्यवस्था देश के प्रधान मन्त्री और राज्यों के मुख्यमंन्त्रीयों और मुख्यन्यायधीशों के सामने सार्वजनिक रूप से आ गयी है। यह सब लोग देश की सर्वोच्च सत्ता हैं जिन पर देश की 125 करोड़ जनता की जिम्मेदारी है और इस जनता की सबसे बड़ी समस्या ही यह है कि उसे न्याय नहीं मिल रहा है। पीढ़ी दर पीढ़ी न्याय के लिए तरसना पड़ रहा है । इस व्यवस्था के लिये अपरोक्ष में प्रधानमंत्री और प्रधानन्यायधीश ने अपने पूर्व वत्तीयों को जिम्मेदार ठहराया है। यह जिम्मेदार ठहराना कितना सही है यह एक अलग बहस का विषय है लेकिन इसमें महत्वपूर्ण यह है कि यह लोग अब इस समस्या का हल क्या और कितनी जल्द देश को देते हैं।

लेकिन इस समय जो व्यवस्था है और उसमें जो नये प्रावधान सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न आदेशों / निर्देशों के माध्यम से देश के सामने आ चुके हैं उनकी अनुपालना कितनी हो पा रही है। सर्वोच्च न्यायलय ने निर्देश दे रखे हैं कि विधायकों/सासंदो के खिलाफ आये आपराधिक मामलों का निपटारा ट्रायल कोर्ट एक वर्ष के भीतर सुनिश्चित करे। इन निर्देशों के बाद राज्य सरकारों को भी यह कहा गया था कि यदि इसके लिये और अधीनस्थ न्यायालयों का गठन करना पड़े तो वह किया जाये। केन्द्र सरकार इसके लिये राज्यों को पूरा आर्थिक सहयोग देगी क्या इन निर्देशों की अनुपालना हो पायी है नहीं। आज हर राज्य में ऐसे विधायक/सांसद मिल जायेगें जिनके खिलाफ आपराधिक मामले कई – कई वर्षो से अदालतों में लबिंत चल रहे हैं। हिमाचल में ही ऐसे कई मामले चल रहे हैं और इन पर सर्वोच्च न्यायालय के इन निर्देशों का कोई असर ही नही है। इसी तरह सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी व्यवस्था दे रखी है कि जांच ऐजेन्सीयों के पास आयी हर शिकायत पर एक सप्ताह के भीतर विधिवत एफ.आई.आर. दर्ज हो जानी चाहिए। यदि जांच अधिकारी को ऐसा लगे की इसमें एफ.आई.आर. दर्ज करने की गुंजाईश नहीं है उसे ऐसा कारण रिकार्ड पर दर्ज करके शिकायतकर्ता को तय समय सीमा के भीतर इसकी लिखित में जानकारी देनी होगी। लेकिन इस व्यवस्था की भी कोई अनुपालना नही हो रही है। हर मामले की एफ.आई.आर. तुरन्त प्रभाव से वैबसाईड पर डालकर सार्वजनिक की जानी चाहिये। इन निर्देशों के बावजूद शिकायतकर्ताओं को एफ.आई.आर. नही दिये जाने के मामले हर रोज सामने आते हैं।

यही नही बहुत सारे महत्वपूर्ण मामलों को उच्च न्यायालय स्वत: संज्ञान लेकर उनमें एस.आई.टी. गठित करके जांच के निर्देश दे देते हैं। हमारे ही प्रदेश में पीलिया के मामले में उच्च न्यायालय ने स्वत: संज्ञान लेकर एस.आई.टी. गठित की है लेकिन आज इस पूरे मामले की स्थिति क्या है इसे लोग भूल चुके हैं। इसी तरह नालागढ़ में एक समय लगे थर्मल पावर प्लांट पर कड़ा रूख अपनाते हुए उच्च न्यायालय ने एस.आई.टी. गठित करके जांच करवायी थी। इस एस. आई.टी. की रिपोर्ट भी उच्च न्यायालय में आ चुकी है लेकिन आज तक यह सामने नही आ पाया है कि अन्त में इसमें हुआ क्या है। ऐसे दर्जनों मामले हैं जहां मामलों के शुरू होने की तो जानकारी है लेकिन उनके अन्तिम परिणाम की कोई जानकारी नही है। यह ऐसी स्थितियां हैं जिनसे उच्च न्यायपालिका पर से भी आम आदमी का भरोसा उठने लग पड़ा है। ऐसे में यह सबसे पहली आवश्यकता है कि न्यायपालिका के पास जितने भी उपलब्ध साधन है उनसे वह आम आदमी के भरोसे को बहाल करने की पहल करे। क्योंकि यदि एक बार न्यायपालिका पर से भरोसा उठ गया तो उनके परिणाम स्वरूप जो अराजकता पैदा होगी वह बहुत ही भयानक हो जायेगी ।

मोदी सरकार के मजदूर विरोधी कदमों का विरोध जरूरी

मई दिवस पर यह दर्ज किया जाना जरूरी है कि मोदी सरकार के मजदूर विरोधी कदमों का सिलसिला बेरोक जारी है। इस बार के केंद्रीय बजट में कर्मचारी प्रोवीडेंट फंड (ई पी एफ) के 60 फीसद की निकासी पर कर लगाने का प्रस्ताव किया गया था। इसका मकसद यही था कि ईपीएफ में अंशदानों को नयी पेंशन योजना के समकक्ष बनाया जाए, जिसमें से धन की निकासी पर कर लगता है। इसके पीछे मंशा यही थी कि ईपीएफ के सदस्यों को नयी पेंशन योजना की अपनाने की ओर धकेला जाए, जिसके कोश को पूंजी बाजार में लगाया जा सकता है।

मजदूरों तथा कर्मचारियों के व्यापक विरोध और तमाम ट्रेड यूनियनों तथा यहां तक कि भाजपा के एनडीए के सहयोगियों के भी नाराजगी जताने के बाद, वित्त मंत्री को संसद में चर्चा शुरू होने से पहले ही उक्त प्रस्ताव वापस लेना पड़ा था। उसके बाद केंद्र सरकार ने प्रोवीडेंट फंड, नेशनल सेविंग्स सार्टिफिकेट तथा पोस्ट ऑफ जमाओं जैसी लघु बचत योजनाओं में भारी कटौतियां कर दीं। जहां पीपीएफ तथा वरिष्ठ नागरिकों के लिए बचतों के लिए ब्याज दरों में 0.6 फीसद की कटौती कर दी गयी, पोस्ट ऑफिस जमाओं के मामले में ब्याज की दरों में 0.6 फीसद से 1.3 फीसद तक की कटौतियां की गयी हैं। लघु बचतों में इन कटौतियों की मजदूर वर्गीय तथा मध्यवर्गीय परिवारों पर बहुत ज्यादा मार पड़ी है क्योंकि उनकी ज्यादातर बचतें लघु बचत योजनाओं के रूप में ही होती हैं। इस मामले में भी मकसद यही है कि इन बचतों को बाजार-आधारित फंडों की ओर धकेला जाए। इस शृंखला में ताजातरीन हमला वित्त मंत्री द्वारा ईपीएफ में ब्याज की दर घटाए जाने के रूप में हुआ है। यह कटौती इसके बावजूद की गयी है कि कर्मचारी प्रोवीडेंट फंड संगठन (ईपीएफओ) के केंद्रीय ट्रस्टी बोर्ड की सिफारिश इसके खिलाफ थी और वास्तव में इस योजना में ब्याज की दर में और बढ़ोतरी के लिए ही फंड उपलब्ध थे।

ईपीएफ के फंड को हथियाने की सरकार की कोशिशें लगातार जारी हैं। 18 मार्च को वित्त मंत्री ने इसकी अधिसूचना जारी की कि एक वरिष्ठ नागरिक कल्याण फंड का गठन किया जा रहा है, जिसके लिए पोस्ट ऑफिस बचत खातों की लघु बचत योजनाओं, पब्लिक प्रोवीडेंट फंड तथा ईपीएफ के दावेदारविहीन जमाओं को हस्तांतरित किया जा रहा है। ईपीएफ की जमा राशियों को इस तरह की किसी अधिसूचना के जरिए हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है। वास्तव में पिछले साल के बजट में भी, ''ईपीएफ के फंड से 6,000 करोड़ रुपए उठाने' का ऐसा ही प्रस्ताव किया गया था, जिसका इस फंड के केंद्रीय ट्रस्टी बोर्ड की 11 मार्च 2015 को हुई बैठक में, इस ट्रस्टी बोर्ड में ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों ने कड़ा विरोध किया था। जहां तक ईपीएफ का सवाल है, सरकार की वर्तमान

अधिसूचना कानूनी लिहाज से भी गलत है और नैतिक लिहाज से भी।

ईपीएफ की जमाओं की निकासी पर कर लगाने की अपनी विफल कोशिश से कोई सबक न लेते हुए, सरकार ने इस फरवरी में ईपीएफ की जमाओं की निकासी के नियमों में संशोधनों की अधिसूचना जारी कर दी। इस अधिसूचना में कहा गया है कि सेवानिवृत्ति से पहले रोजगार छिनने, इस्तीफे आदि की सूरत में जमा में से निकासी की सूरत में, मजदूर ईपीएफ में अंशदान का सिर्फ एक हिस्सा निकाल सकेंगे और सिर्फ 58 वर्ष की आयु के बाद ही इस फंड में ''मालिकान का अंशदान'' निकाला जा सकेगा। इसका सभी ट्रेड यूनियनों ने विरोध किया और मांग उठायी कि मजदूरों को यह तय करने का अधिकार होना चाहिए कि वे ईपीएफ से अपना पैसा निकालना चाहते हैं या उसी में रखना चाहते हैं।

जब इस संशोधन को लागू करने की कोशिश की जा रही थी, उसे मजदूरों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा था। बंगलूरु में मजदूरों की तथा खासतौर पर महिला मजदूरों और विशाखापट्नम में हुई विरोध कार्रवाइयों ने सरकार को उक्त अधिसूचना वापस लेने के लिए मजबूर किया है। इस तरह मजदूरों ने ईपीएफ के अपने पैसे का एक हिस्सा छीनने की सरकार की कोशिश को विफल कर दिया है।

ये मजदूर विरोधी कदम, विभिन्न श्रम कानूनों को कमजोर करने की मोदी सरकार की कोशिशों की पृष्ठभूमि में आए हैं। ऐसा ही एक और कदम, फैक्ट्री कानून में संशोधन का प्रस्ताव है, जिससे संबंधित विधेयक विचार के लिए संसद के सामने आने वाला है। इन संशोधनों को अगर संसद की मंजूरी मिल जाती है तो इनके जरिए, फैक्ट्री की परिभाषा बदलने के रास्ते से, 75 फीसद से ज्यादा औद्योगिक श्रमशक्ति को इस कानून के दायरे से ही बाहर कर दिया जाएगा। 40 तक मजदूरों वाली सभी फैक्टरियों को फैक्ट्री कानून से बाहर किए जाने की तैयारी है। छोटी यानी 40 मजूदरों तक की फैक्टरियों के लिए एक नया विधेयक लाया जाने वाला है। इस विधेयक के जरिए यह तय कर दिया जाएगा कि 14 बुनियादी श्रम कानून ऐसी छोटी फैक्टरियों पर लागू नहीं होंगे।

मोदी सरकार, ''कारोबार करना आसान बनाने'' के नाम पर और इनसे रोजगार बढने के फर्जी दावे के साथ, ये तमाम मजदूर वर्ग-विरोधी कदम उठा रही है। मजदूर वर्ग का आंदोलन इन तमाम मजदूरविरोधी कदमों का जोर-शोर से विरोध कर रहा है। इन मजदूरविरोधी कदमों के खिलाफ और अपनी अन्य मांगों को लेकर, केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने 2 सितंबर को आम हड़ताल का अहवान किया है। भारत के मजदूर वर्ग का संघर्ष, मोदी सरकार की तानाशाही की बढ़ती प्रवृत्ति के खिलाफ संघर्ष का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

–प्रकाश कारात–

ई.डी.प्रकरण में

अपराजिता और विक्रमादित्य की याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश

*** IN THE HIGH COURT OF DELHI AT NEW DELHI**

W.P.(C) 3008/2016

APRAJITA KUMARI & ANR ..... Petitioners

Through: Mr. Amit Sibal, Sr. Adv. with Mr.Parmatma Singh, Mr. Mayank Jain & Mr.Madhur Jain, Advs.

Versus

JOINT DIRECTOR, ENFORCEMENT DIRECTORATE & ANR ..... Respondents

Through: Mr.Sanjay Jain, ASG with Mr.Sanjeev Narula, CGSC, Mr. Amit Mahajan, CGSC with Mr.Abhishek Ghai & Mr. Ajay Kalra, Advs.

CORAM:

HON'BLE THE CHIEF JUSTICE

HON'BLE MR. JUSTICE JAYANT NATH

O R D E R

26.04.2016

Ms.G.Rohini, Chief Justice

C.M.No.12627/2016 (stay)

1. The main petition is filed with a prayer to declare the second proviso to Section 5(1) of the Prevention of Money Laundering Act, 2002 (for short the PML Act) as unconstitutional and further to quash the provisional attachment order dated 23.03.2016 passed by the respondent No.1 under Section 5(1) of the said Act. By this application, the impugned order of provisional attachment as well as all further proceedings under the Act are "C.M.No.12627/2016 in W.P.(C) No.3008/2016 Page 2 of 5 sought to be stayed.

2. We have heard Sh.Amit Sibal, the learned Senior Counsel appearing for the petitioners and Sh.Sanjay Jain, the learned ASG appearing for the respondents.

3. A perusal of the impugned order of provisional attachment shows that FIR No.RC AC-1 2015 A-0004 dated 23.09.2015 was registered by the CBI under Section 13(2) read with Section 13(1)(e) of the Prevention of Corruption Act, 1988 and Section 109 of Indian Penal Code, 1860 against Sh.Virbhadra Singh, Smt.Pratibha Singh, Sh.Anand Chauhan and Sh.Chunni Lal Chauhan and other unknown persons. On the basis of the same, an investigation under PML Act, 2002 has been initiated vide ECIR case No.ECIR/HQ/02/HIU/2015 on 27.10.2015 by the Directorate of Enforcement, Government of India alleging that most of the unaccounted income of Sh.Virbhadra Singh has been invested into insurance policies purchased in the names of Sh.Virbhadra Singh and his family members, including the petitioners herein, and the same have further been laundered into acquisition of immovable property. Under the impugned order various immovable and movable properties of Sh.Virbhadra Singh and his family members have been provisionally attached in terms of the second proviso to Section 5(1) of the PML Act, 2002 for a period of 180 days.

4. So far as the petitioners herein are concerned, movable assets worth Rs.15,85,639/- belonging to the petitioner No.1 and Rs.62,86,746/- belonging to the petitioner No.2 have been provisionally attached. The said attachment is assailed in this writ petition on various grounds including that the respondents have failed to record any 'reason to believe' that the proceedings relating to the confiscation of the proceeds of crime would be "C.M.No.12627/2016 in W.P.(C) No.3008/2016 Page 3 of 5 frustrated unless the moveable assets of the petitioners are not attached; that the impugned attachment is impermissible under law since no report has been forwarded to a Magistrate under Section 173 of Cr.P.C. in relation to a scheduled offence and that the assets of the petitioners who are not named in the FIR and against whom there is no charge sheet are not liable to be attached under the PML Act.

5. In the counter affidavit filed on behalf of the respondents, a preliminary objection has been raised as to the maintainability of the writ petition contending that the writ petition is pre-mature since the impugned order is only a tentative order which can become effective only after confirmation under Section 8 of the PML Act. On merits of the case, it is contended that since all the attached properties have been found to be prima facie involved in the offence of money laundering, the impugned order of provisional attachment was rightly passed. It is also contended that the proceedings under the PML Act are totally independent from the proceedings for the scheduled offence and that for exercising the power of provisional attachment under Section 5, it is not necessary that the person who is in possession of any proceeds of crime should have also been accused of a scheduled offence. The further contention is that the sufficiency of 'reason to believe' cannot be gone into in exercise of writ jurisdiction under Article 226 of the Constitution of India.

6. Having regard to the admitted fact that there is no charge sheet against the petitioners herein and they are not even named in the FIR, it appears to us that the question whether the moveable assets of the petitioners can be subjected to provisional attachment under Section 5 of the PML Act is a larger issue which requires consideration in the main petition. We have also "C.M.No.12627/2016 in W.P.(C) No.3008/2016 Page 4 of 5 taken note of the fact that the constitutional validity of the second proviso to Section 5(1) of the PML Act is the subject matter of certain other writ petitions pending on the file of this Court.

7. It is also relevant to note that after we directed notice in the present petition on 06.04.2016 and adjourned the matter to enable the respondents to file their counter affidavit, on 12.04.2016 the respondent No.1 filed a complaint under Section 5(5) of the Act before the adjudicating authority in which the petitioners herein have also been arrayed as defendants. While placing before this Court a copy of the said complaint, it is submitted by Sh.Amit Sibal, the learned Senior Counsel that the main writ petition itself would be rendered infructuous unless the respondents are restrained from proceeding further under the PML Act.

8. As already expressed, it appears to us that the matter involves various questions of law which require consideration in the main petition, in particular, the constitutional validity of the second proviso to Section 5(1) of the PML Act.

9. In the meanwhile, we consider it appropriate to stay all further proceedings pursuant to the impugned order of provisional attachment so far as the petitioners herein are concerned. However, the impugned attachment shall continue. We also make it clear that the period of stay pursuant to the present order shall not be taken into consideration for computing the period of 180 days stipulated for operation of the provisional attachment under Section 5(1) of the PML Act.

10. The application is accordingly disposed of. "C.M.No.12627/2016 in W.P.(C) No.3008/2016 Page 5 of 5 W.P(C) No.3008/2016 Re-notify on 18.07.2016. In the meanwhile, rejoinder by the petitioners. The respondents are at liberty to file the additional counter affidavit, if any, within four weeks from today.

CHIEF JUSTICE

JAYANT NATH, J

APRIL 26, 2016

'anb'

गांधी परिवार भ्रष्टाचार का पर्यायवाची है और देश की छवि को कलंकित कर चुके हैं:अनुराग ठाकुर

शिमला/शैल। अनुराग ठाकुर, हमीरपुर सांसद और BJYM अध्यक्ष ने कांग्रेस और उसकी अध्यक्षा एवं वरिष्ठ मंत्रियों की ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले में उनकी सांठ – गांठ के कारण भारत की छवि की कलंकित करने के लिए घोर निंदा की। यह मिलन, इटली में अपीली अदालत द्वारा दिए गए फैसले के बाद हुआ जिसमें आरोप लगाया गया है कि भारत के रक्षा मंत्रालय ने जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत करने में ढुलमुल रवैया दिखाया और बहुत देरी की जिसके कारण इस मामले में मुकद्दमा निष्फल हुआ है।

अनुराग ने कांग्रेस की निंदा की, 'कांग्रेस को जवाब देना चाहिए कि वो ऑगस्टा वेस्टलैंड घोटाले की किसकी रक्षा कर रही है? VVIP हेलीकॉप्टरों के 3600 करोड़ रुपये के ठेके को अंतिम रूप देने में संलिप्त बिचौलियों के जब्त दस्तावेजों में इस सांठ – गांठ में शामिल प्रत्येक व्यक्ति को दी जाने वाला घूस के कागजात मिले हैं और ये कागजात बिचौलियों द्वारा हाथ से लिखे गए हैं। FAM - 16 मिलियन यूरो, AP: 3 मिलियन यूरो (क्या इस FAM का मतलब गांधी परिवार और AP का मतबल अहमद पटेल – गांधी के राजनैतिक सचिव है? यह सवाल को इटली की अदालत ने भी पूछा है'!

आगे ठाकुर ने कहा, 'कांग्रेस और भ्रष्टाचार की गहरी जड़ें हैं लेकिन उन्होंने बेशर्मी की नई बुलंदी हासिल कर ली है जब उन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय अदालत में हमारे देश का नाम खराब किया! उनके पूर्व रक्षा मंत्रालय तक कबूल किया है कि इस संबंध में घूस ली गई है! क्या कांग्रेस जवाब देगी कि 360 करोड़ रुपये की यह घूस किसने ली है'!

ठाकुर ने मौजूदा रक्षा मंत्री से इस मामले की हकीकतों और दस्तावेज जमा करवाने में देरी को कारणों को जगजाहिर करने का अनुरोध किया। उन्होंने एनडीए सरकार से इस मामले में सबूतों को नष्ट करने और हमारे देश की छवि को कलंकित करने के लिए निचले से निचले स्तर के अधिकारी से लेकर ऊंचे राजनैतिक पदधारकों – सभी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कारवाई करने का अनुरोध किया।

शोंगटोंग में मजदूरों के दमन के खिलाफ144 तोड़ स्कैंडल प्वाइंट पर मजदूरों का धरना

शिमला/शैल। किन्नौर के शोंगटोंग पावर प्रोजेक्ट में हो रहे श्रम कानूनों के उल्लंघन के विरोध में सीटू, माकपा के कार्यकर्ताओं ने राजधानी शिमला के स्कैंडल प्वाइंट पर धारा 144 को सरेआम ठेंगा दिखाकर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर इन कार्यकर्ताओं ने

गिरफ्तारियां दी। ये पहली बार हुआ है कि वामपंथियों ने मई दिवस के मौके पर माल रोड़ के स्कैंडल प्वाइंट पर इस तरह का प्रदर्शन किया हो। इस मौके पर सीटू नेता विजेंद्र मेहरा ने याद दिलाया कि जिस तरह 1886 में अमेरिका के शिकागो शहर में धन्ना सेठों से मिलकर वहां की सरकार ने मजदूरों के खून से अपने हाथ रंगे थे उसी तरह शोंगटोंग में मजदूरों को घेरने की कोशिश की जा रही है। मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी तक नहीं दी जा रही है। उनकी बाकी सुविधाओं पर रोक लगा दी है और कई किलोमीटर तक धारा 144 लगा दी गई है।

वामपंथियों का आरोप है कि इस सारे कांड में विधानसभा के उपाध्यक्ष जगत सिंह नेगी की भूमिका है। बीते दिनों वामपंथी नेता व शिमला नगर निगम के डिप्टी मेयर टिकेंद्र पंवर ने लोकल चैनल से कहा थ कि जगत सिंह नेगी के भाई महेंद्र सिंह नेगी को इस प्रोजेक्ट के ठेकेदार पटेल कंपनी ने 95 करोड़ का ठेका दे रखा है। टिकेंद्र ने इस बावत एक चिटठी सीएम वीरभद्र सिंह को भी लिखी थी। ये क्यों लिखी थी ये समझ से परे है क्योंकि जगत सिंह नेगी वीरभद्र सिंह के बेहद करीबी है। बहरहाल सीटू ने एजी चौक से स्कैंडल प्वाइंट तक रैली निकाली और स्कैंडल प्वाइंट पर प्रदर्शन किया। विजेंद्र मेहरा ने कहा कि शोंगटोंग में पिछले 46 दिनों से मजदूर हड़ताल पर है और सरकार उसके अफसर, कंपनी के लोगों के साथ मिलकर उनका दमन करने में लगे है। उन्होंने कहा कि सरकार, पटेल कंपनी के कर्ताधर्ता, ठेकेदार, नेता और अफसरों के गठजोड़ ने श्रम कानूनों व 15 मार्च को हुए समझौतें की धज्जियां उड़ा रखी है।

देश में रैंकिंग को सुधारने के लिए हिमाचल को कई सुधार लाने होंगे:संजय खुराना

शिमला/शैल।

राज्य सरकार एक प्रगतिशील कारोबारी माहौल बनाने की दिशा में प्रतिबद्ध है। औद्योगीकरण ने पिछले कुछ वर्षो में राज्य में महत्वपूर्ण प्रगति की है। हिमाचल प्रदेश सामाजिक समावेश, नगण्य हड़तालों और श्रम असंतोष के साथ प्रभावी ढंग से संतुलित आर्थिक विकास के लिए जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर 82.8 फीसदी है, जो 74 फीसदी के राष्ट्रीय औसत की तुलना में ज्यादा है। यह साक्षरता दर संकेत देती है कि राज्य में शिक्षित और योग्य मानव संसाधन का एक बड़ा आधार उपलब्ध है। हिमाचल प्रदेश में पर्यावरण और प्रदूषण के लिए व्यापक और निर्बाध ऑनलाईन समाधान है।

इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश में अवॉर्ड विनिंग ई गवर्नेंस, डाक ट्रैकिंग सिस्टम, हरेक को आधार लागू करना, ईपीडीएस, लोक मित्र केंद्र आदि हैं। इसके साथ ही सरकार द्वारा आबकारी और कराधान और श्रम से संबंधित सेवाओं का डिजिटाइजेशन किया गया है, जिसके लिए एक व्यापक ऑनलाईन प्रणाली डवलेप की गई है जो कि एक क्रांतिकारी परिवर्तन है।

हिमाचल प्रदेश में व्यवसाय शुरू करने के लिए ज्यादा चैलेंज नहीं है। हिमाचल प्रदेश के जिन क्षेत्रों में सुधारों की आवश्यकता है उसमें संपत्ति पंजीकरण है। धारा 118 के तहत एक अलग भूमि उपयोग परिवर्तन योजना को दोबारा से तैयार करना आवश्यक है। यह व्यापार को फास्ट ट्रैक करने और बाधा रहित करने में अहम हो सकता है। जिन एमएसएमई के पास पांच बीघा जमीन है उनके लिए इसका फार्मूलेशन किया जाना चाहिए। जिससे वह बाधा रहित और फास्ट ट्रैक व्यापार किया जा सके।

हिमाचल प्रदेश में एक सिंगल विंडो क्लीयरेंस एजेंसी है। लेकिन जिस तेजी के साथ यहां निवेश बढ़ रहा है उससे एमएसएमई के लिए समयबद्ध क्लीयरेंस के लिए अलग से एसडब्लूसीए बनाने की आवश्यकता है। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश द्वारा डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री का एक अधिकारी नियुक्त किया जाना चाहिए, इसके साथ ही एक नोडल अधिकारी होना चाहिए जो कि संबंधित विभागों के बीच इंडस्ट्री का तालमेल करवा सके।

सरकार को बद्दी – बरोटीवाला – नालागढ़ औद्योगिक क्षेत्र, परवाणू, काला अम्ब, आदि के रूप में पहले से ही मौजूदा औद्योगिक क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे में सुधार करने की जरूरत है। सड़कों और बुनियादी सुविधाओं की खराब हालत के कारण, निवेशकों वहाँ औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने में गुरेज करते हैं। राज्य को प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग जो प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों और पर्यटन स्थल

सड़कों कनेक्ट करते हैं, को चार लेन का करने की जरूरत है। सरकार को रेलवे के माध्यम से बद्दी – बरोटीवाला – नालागढ़ कनेक्ट करने के लिए केंद्रीय रेल मंत्रालय के साथ तालमेल करना चाहिए।

श्रम निरीक्षक, कारखाना निरीक्षक, ईएसआई इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर कल्याण आदि द्वारा किसी भी व्यवसाय या फैक्ट्री का एक से ज्यादा बार निरीक्षण करने से कारोबार हतोत्साहित होता है। इसके बजाय एक अच्छी तरह से समन्वित निरीक्षण किया जाना चाहिए। जो कि कई एजेंसियों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाना चाहिए। इसके साथ ही सौ से कम कर्मचारियों वाली कंपनियों को स्व – प्रमाणन की अनुमति प्रदान की जानी चाहिए।

राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए एमएसएमई रीढ़ की हड्डी हैं, यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। इसलिए राज्य में एक अलग एमएसएमई नीति बनाई जानी चाहिए। राज्य को एमएसएमई के लिए एक अलग से नीति बनानी चाहिए। क्षेत्र में 2.87 लाख उद्यम 4.68 लाख लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। इससे राज्य का समग्र विकास होगा और राज्य के आर्थिक विकास में मदद मिलेगी इसके साथ ही एक स्वस्थ व्यापार का माहौल मिलेगा।

एक स्वस्थ व्यापार माहौल के लिए श्रम कानून का सरलीकरण महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार ने इस संबंध में कदम उठाए हैं, लेकिन इसे और अधिक अच्छे ढंग से किया जा सकता है। हिमाचल प्रदेश में आसानी से कारोबार करने को बढ़ावा देने की जरूरत है। सीआईआई ने श्रम कानून सुधारों पर अपने सुझाव दिए है, सीआईआई को आशा है कि इसपर उदारता से विचार किया जाएगा।

परिवहन एक अहम मुद्दा है जो हिमाचल प्रदेश में कारोबार को आसान करने में बाधा है। हिमाचल प्रदेश में ट्रक यूनियन द्वारा चलाया जा रहा परिवहन है। इसके अतिरिक्त परिवहन का कोई वैकल्पिक साधन नहीं है। वैकल्पिक साधनों की कमी की वजह से यह यूनियन काफी महंगा चार्ज करती हैं और इंडस्ट्री के सदस्यो को इससे परेशानी होती है। कई उद्योगों के लिए ट्रक ड्राइवरों की यूनियन की मोनोपोली एक चुनौती बन गई है।

राज्य में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार को पर्यावरण के अनुकूल उद्योगों को प्रोत्साहित करना चाहिए। मसलन, आईटी, फूड प्रोसेसिंग आदि के साथ खाद्य प्रसंस्करण में पारिस्थितिकी और भूवैज्ञानिक सद्भाव है। ऐसे क्षेत्रों में निवेश करने वाले उद्यमी को ज्यादा लाभ होगा।

सीआईआई इंडस्ट्री टूर पर पीयू के पच्चीस स्टूडेंट्स गए बद्दी

शिमला/शैल। कंफेडरेशन आफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआईआई) ने पंजाब यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क के पच्चीस पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स का बद्दी के लिए एक टूर आयोजित किया। इस टूर का उद्देश्य स्टूडेंट्स को समाजिक दायित्वों की जानकारी से रू – ब – रू करवाना था। इसके साथ ही उनको यह बताना था कि भविष्य में एक लीडर के रूप में उनके समाज के प्रति क्या दायित्व है। इस दौरान उनको सेंटिफ फार्मा द्वारा की जाने वाली समाजिक गतिविधियों की जानकारी दी गई।

सीआईआई हिमाचल प्रदेश स्टेट काउंसिल के चेयरमैन संजय खुराना ने कहा कि अब यह आवश्यक हो गया है कि यूथ को एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका बताई जाए। इस टूर का उद्देश्य सीएसआर के समझानाथा, जिससे स्टूडेंट्स खुद को तैयार कर सकें।

जिन स्टूडेंट्स को आज अच्छा एक्सपोजर दिया गया वह निश्चित रूप से भविष्य में एक अच्छा कार्य करेंगे। वह एक जिम्मेदार नागरिक बनेंगे और एक अच्छी, सुरक्षित और जिम्मेदार समाज का निर्माण करेंगे।

स्टूडेंट्स ने इस मौके पर सेंटिस फार्मा के प्लांट हेड और सीएसआर के हेड से मुलाकात की। स्टूडेंट्स को उन एरिया की जानकारी भी प्रदान की गई जिसमें कंपनी सीएसआर गतिविधियां करती है। इसमें ग्रामीण महिलाओं के लिए चलाए जाने वाले बुनाई और सिलाई केंद्र के बारे में बताया गया। जिसके जरिए महिलाओं को रोजगार मिलता है। इसके साथ गरीब बच्चों के लिए चलाए जाने वाले प्राइमरी स्कूल, डिस्पेंसरी के बारे में भी जानकारी प्रदान की गई।

इस मौके पर सीआईआई हिमाचल प्रदेश के सीएसआर पैनल के को कन्वीनर रमन अंग्रा ने बेस्ट प्रेक्टिस की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह काफी आवश्यक है कि समाज को रिटर्न दें। उन्होंने कहा कि गरीब और असहाय की बेसिक जरूरतें पूरी करने हमारा काम है। उन्होने इस मौके पर स्टूडेंट्स को सेंटिस फार्मा में इंटर्नशिप के लिए आमंत्रित किया।

परिपेक्ष्य में स्टूडेंट्स को इंडस्ट्री द्वारा किए जाने वाले महत्वपूर्ण कार्यो की जानकारी प्रदान करना था। इसके साथ ही सीएसआर का वर्तमान परिदृश्य

पर्यावरण नियमों को ठेंगा दिखा पंथाघाटी में खड़ी हुई रसूखदारों की कालोनी, मुकद्दमे की तैयारी

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह सिंह, उनके प्रधान निजी सचिव वीसी फारका और मुख्य सचिव पी मित्रा जिस सचिवालय से प्रदेश में राज करते हैं वहां से केवल दो किलोमीटर की दूरी पर इन सबकी नाक के नीचे पर्यावरण नियमों को ठेंगा दिखाकर सौ से ज्यादा फ्लैटों की एक कालोनी खड़ी हो गई है।

ये किन-किन लोगों व अफसरों की मिलीभगत से बनी है इसका खुलासा अभी नहीं हो पाएगा। लेकिन शहर में फैले पीलिए के बाद जिस तरह से हाईकोर्ट ने आईपीएच व प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के अफसरों पर गाज गिराई उससे थर्रा कर प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने इस सोसायटी पर आपराधिक मुकद्दमा दायर करने का फैसला ले लिया है। हालांकि बोर्ड यहां पर बिलकुल पाक साफ नजर नहीं आ रहा है। फिर भी बोर्ड के सदस्य सचिव विनीत कुमार ने 19 अप्रैल को अपने मातहत अफसर को कालोनी खड़ा करने वाली सोसायटी के कर्ताधर्ताओं के खिलाफ मुकद्दमा दायर करने के आदेश दिए है। आईएफएस अफसर सदस्य सचिव प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड विनीत कुमार वही अफसर है जिनके खिलाफ पीलिया कांड में प्रदेश हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर शोकॉज नोटिस दे रखा है।

बोर्ड के दफ्तर से कुल एक किलोमीटर की दूरी पर बन रही इस कालोनी के कर्ताधर्ताओं को बोर्ड के अधिकारी 23 जून 2014,18 जुलाई 2014, 4अगस्त 2014, 7 अप्रैल 2015, 18 जून 2015 और 20अक्तूबर 2015 को चिट्ठियां लिखकर सोसायटी को निर्माण न करने के निर्देश देते रहे। लेकिन ये काम नही रुका। कायदे से बोर्ड को तीन नोटिस देने के बाद सोसायटी के खिलाफ मुकद्दमा दायर कर देना चाहिए था। लेकिन बोर्ड ने ऐसा नहीं किया और काम चलता रहा। बोर्ड ने इस बारे नगर निगम को भी अवगत कराया कि वो इस कालोनी का निर्माण कार्य रुकवाए। लेकिन धूमल सरकार व वीरभद्र सिंह सरकार में रसूखदारों ने ऐसा हाहाकार मचाया कि न तो काम निगम ने रुकवाया और न ही प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने मुकद्दमा दायर किया। लेकिन पीलिया कांड में जब प्रदूषण बोर्ड के सदस्य सचिव विनीत कुमार और बाकी अधिकारियों पर गाज गिरी तो वो होश में आए।

मामला पंथाघाटी में प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल इंदिरा गांधी मेडिकल अस्पताल के डॉक्टरों की ओर से गठित आईजीएमसी डाक्टर्स को-आपरेटिव हाउसिंग सोसायटी का है। सोसायटी ने पंथाघाटी में प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड से बिना अनुमति लिए 20 हजार वर्ग से ज्यादा इलाके में निर्माण कर दिया। जबकि सोसायटी ने नगर निगम से 14000 वर्ग मीटर में इस सोसायटी का निर्माण करने का नक्शा पास करवा लिया था। सारा घपला यहीं हुआ है। बताते है कि ये सारा मामला धूमल सरकार के दौरान 2008 से लेकर 2012 के बीच हो गया। अब सोसायटी के आका भंडा निगम पर फोड़ने पर आ गए है।

सोसायटी के कर्ताधर्ताओं का कहना है कि जब उन्होंने नक्शा पास करवाया तो निगम ने उन्हें ऐसा कुछ नहीं बताया कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से भी मंजूरी लेनी लाजिमी है। इसके अलावा पर्यावरण मंजूरी का भी कोई झमेला नहीं था। हालांकि ये कर्ताधर्ता सही कह रहे हैं। पर्यावरण मंजूरी लेने की जरूरत तब पड़ती है अगर बिल्ट अप एरिया 20 हजार वर्ग मीटर से ज्यादा हो। सूत्रों के मुताबिक जब नक्शा पास कराया गया था तो ये 20 हजार वर्ग मीटर से कम ही था। लेकिन जब सोसायटी ने पर्यावरण विभाग से पर्यावरण मंजूरी मांगी तो सोसायटी के दस्तावेजो में ये बिल्ट अप एरिया 21 हजार से ज्यादा सामने आ गया। कांड यहीं से सामने आ रहा है। इस पर पर्यावरण विभाग ने प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड सोसायटी के खिलाफ उचित कार्यवाही करने के आदेश दिए।

अब बड़ा सवाल ये है कि क्या सोसायटी ने नगर निगम में नक्शा पास कराते समय घपला किया है। हालांकि कोई भी घपला सरकारी विभागों के अफसरों की मिली भगत से नहीं हो सकता। आरोप तो ये भी है कि निगम में नक्शा पास कराते वक्त प्रभावशाली लोगों के प्रभाव का इस्तेमाल किया गया था। सचिवालय के कई आईएएस अफसर जुगाड़ कराने में शामिल रहे थे। लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हुई है। सूत्र बताते है कि मुख्यमंत्री कार्यालय का एक बड़ा अफसर, एक प्रधान सचिव और धूमल सरकार में धूमल के बेहद करीबी रहा एक तत्कालीन प्रधान सचिव मौजूदा अफसरों पर लगातार दबाव बनाने में लगे हुए है। कहा तो ये भी जा रहा है कि ये मुकद्दमा अदालत में दायर ही इसलिए किया जा रहा है कि सोसायटी पर थोड़ी बहुत पैनल्टी लग जाए और अदालत के फैसले के आने तक पर्यावरण विभाग से पर्यावरण मंजूरी ले ली जाए। इससे बोर्ड के अफसर भी पाक साफ बच जाते है और सोसायटी का काम भी होजाता है। बहरहाल खेल जारी है।

इस मसले पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव विनीत कुमार ने कहा कि बोर्ड ने पर्यावरण विभाग के निर्देश पर सोसायटी के खिलाफ मुकद्दमा दायर करने के आदेश दिए है। ये पूछे जाने पर कि बोर्ड सोसायटी को जून 2014 से नोटिस दिए जा रहा है तो पहले कार्यवाही क्यों नहीं की, विनीत कुमार बोले उनके नोटिस में ये मामला जैसे ही आया उन्होंने मुकद्दमा दायर करने के आदेश दे दिएचूंकि बाकी का काम उनके मातहत अफसरों का है।

उन्होंने कहा कि पर्यावरण मंजूरी और कंसेंट ऑफ इस्टेबलिश निर्माण पूरा होने के बाद भी मिल सकती हैसोसायटी के कर्ताधर्ताओं के प्रति जुबानी सहानुभूति जताते हुए वो बोले किसी को घर बनाने से थोड़े ही रोक सकते है,बस कानूनों व नियमों का पालन होना चाहिए।

इस दिलचस्प मामले में नगर निगम की नजर में आज सोसायटी का स्टेटस क्या है इस बावत नगर निगम के अफसर गोलमोल जवाब देने में बहुत स्मार्ट है। योजना वास्तुकार राजीव शर्मा बोले कि वो फाइल मंगवाकर जो भी कार्यवाही बनेगी, करेंगे।

उधर, आईजीएमसी डॉक्टर्स कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी के चेयरमैन डाक्टर श्याम कौशिक अलग ही दास्तां बताते है। उन्होंने कहा कि सोसायटी ने नगर निगम से जब नक्शा पास कराया था तो निगम ने उन्हें ऐसा कुछ नहीं बताया कि पर्यावरण मंजूरी भी लेनी होती है। वो 2008 से इस प्रोजेक्ट पर लगे हुए है। अब तक तो फ्लैट बन भी जाते। ये पूछने पर कि सोसायटी ने नगर निगम से जो नक्शा पास कराया वो साढ़े चौदह हजार वर्गमीटर के बिल्टअप एरिया का था व जब पर्यावरण मंजूरी मांगी तो पर्यावरण विभाग में 21 हजार वर्ग मीटर से ज्यादा का एरिया बताया। क्या ये घपला नहीं किया गया है। डाक्टर कौशिक ने कहा कि इन दोनों विभागों का अपना अपना फंडा है। बोर्ड पार्किंग व खुले स्पेस को भी बिल्ट अप एरिया मान रही है। सोसायटी ने नक्शे के मुताबिक ही काम कराया है। हालांकि उनकी इस दलील को प्रदूषण बोर्ड के इंवायरमेंट इंजीनियर एस के शांडिल गलत करार देते हैं कि वो इस मामले में भारत सरकार की अधिसूचना के मुताबिक ही काम कर रहे है। उसमें हर चीज परिभाषित है। शांडिल ये भी जोड़ते है कि बिल्ट अप एरिया को लेकर दस्तावेज सोसायटी ने खुद दिए है। बोर्ड ने कुछ नहीं किया है।

डाक्टर कौशिक से ये पूछने पर कि बोर्ड सोसायटी को जून 2014 से काम बंद करने के नोटिस भेज रहा है तो उन्होंने काम बंद क्यों नहीं किया। वो बोले कि उन्होंने काम बंद करा दिया था।

हालांकि ये सही नहीं लगता। अगर काम बंद कर दिया होता तो इतने सारे नोटिस सोसायटी को नहीं मिलते। आरोप ये भी लग रहे है कि सोसायटी ने बहुत से फ्लैट बाहर के लोगों को बेच दिए है। 12 फ्लैट किसी ठेकेदार को दिए है। इस मसले पर कौशिक ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है।

बहरहाल जो भी हो रसूखदारों के खेल सरकार की मिलीभगत से सरकार की नाक के नीचे जारी है। अब देखना ये है कि इस मामले में आगे क्या खेल होता है।

गौरतलब है कि हीरानगर में एमएलए कालोनी, पंथाघाटी में आईएएस कालोनी, बेमलोई के नीचे डीएलएफ कालोनी के बाद अब पंथाघाटी में एक और कालोनी का निर्माण विवादों में आ गया है। हीरानगर में प्रदेश के नेताओं ने अपना रसूख दिखाकर कानून के साथ उत्पात मचाया था तो आईएएस कालोनी में प्रदेश के नौकरशाहों ने स्टील फेम की ताकत प्रदेश की भोली भाली जनता को दिखाई। डीएलएफ कालोनी में प्रदेश के बड़े नेता और उनके पुत्रों ने कानून के साथ हाहाकार मचाया तो अब आईजीएमसी के डॉक्टरों ने पंथाघाटी में कानून का सरेआम मजाक उड़ाया है। सिलसिला बाकी जगहों पर भी जारी है और सच मानिए हर जगह सरकार की मौन हामी इन सब तबकों के साथ है। चूंकि ये रसूखदार है, बस इसलिए। हैरानी ये है कि इस सबमें भाजपा, कांग्रेस व वामपंथी सब एक साथ हैं। सब के सब कहीं न कहीं रसूखदार, कानून तोड़ने वालों के साथ।

समाज के इन रसूखदार तबकों ने कानून को जैसे चाहा वैसे तोड़ा-मरोड़ा व अपने मुताबिक कर लिया। बस मजबूर वो रहे जो आम लोग थे। उनके लिए कहीं कोई रास्ता नहीं है।

IAS मितल बने जेटली के मंत्रालय I&B के सचिव

शिमला/शैल। राष्ट्रीय स्वयं संघ की पृष्ठभूमि व हिमाचल केडर के 1982 बैच के आईएएस अफसर अजय मितल मोदी सरकार में सूचना व प्रसारण मंत्रालय के सचिव नियुक्त किया गया है। दिसंबर 2012 में सता में आई हिमाचल की वीरभद्र सिंह सरकार की ओर से अढाई साल तक हाशिए पर रखे वरिष्ठ आईएसस अफसर अजय मितल के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के राजनीतिक शत्रु सूचना व प्रसारण मंत्री अरुण जेटली के मंत्रालय के सचिव बनने से वीरभद्र सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती है। ये सवाल खड़ा हो गया है।

1982 बैच के आईएएस अफसर अजय मितल दिसबंर 2007 से दिसंबर 2012 तक सता में रही धूमल सरकार के शुरूआती दिनों में धूमल के बेहद लाडले अफसरों में गिने जाते थे। यहां तक कि उन्होंने वीरभद्र सिंह सरकार में 2006-07 में ब्रेकल इनवो नामक कंपनी को किन्नौर में आवंटित किए 960 मेगावाट के दो पावर प्रोजेक्ट हासिल करने में ब्रेकल की कारगुजारियों को उजागर किया था। ब्रेकल में गौतम अदानी की कंपनी के पैसे लगे थे।

इस आवंटन में धूमल सरकार ने बाद ब्रेकल को ही ये प्रोजेक्ट दे दिया था। जिस पर अंबानी की कंपनी इस आवंटन के खिलाफ अदालत में चली गई थी। ये आवंटन अदालत ने रद्द कर दिया था लेकिन तबकि धूमल सरकार और बाद में वीरभद्र सिंह सरकार ने इसे अंबानी की रिलायंस कंपनी को आवंटित नहीं किया।

अब जाकर अक्तूबर 2015 में वीरभद्र सिंह सरकार ने इस 9000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को रिलायंस पावर को आवंटित कर दिया है।

मितल हिमाचल प्रदेश में भी लोक सपंर्क विभाग के सचिव रह चुके है। वीरभद्र सिंह ने उन्हें बाद में कई विभाग दिए लेकिन विश्वसनीयता का सवाल बना ही रहा।

मई में मौजूदा मुख्य सचिव पी मित्रा रिटायर होने वाले है। उनके बाद प्रदेश में सबसे वरिष्ठ अफसर दीपक सानन है। जिन्हें सरकार ने भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर की एचपीसीए के एक मामलों में चार्जशीट किया हुआ है। ऐसे में दीपक सानन का मुख्य सचिव बनना मुश्किल है। उनके बाद मितल का नंबर था लेकिन वो भांप चुके थे कि जब तक वीरभद्र सिंह मुख्यमंत्री है तब तक वो मुख्य सचिव की कुर्सी नहीं हासिल कर पाएंगे। ऐसे में उन्होंने मोदी सरकार में जाने की योजना बनाई। वो अच्छी पोस्टिंग की तलाश में थे। अरुण जेटली के मंत्रालय में उन्हें सचिव की पोस्टिंग मिल गई है।

अब देखना है कि वो वीरभद्र सिंह से स्कोर सेटल करते है या चुपचाप रहते है। कहा जा रहा है कि पहले धूमल भी उनसे नाखुश थे। लेकिन धूमल परिवार खुद भ्रष्टाचार के मामलों में घिरे हुए हैं। ऐसे में उन्हें मितल से उम्मीद होगी कि वो जेटली से मिलकर वीरभद्र सिंह को लपेटने में मदद करेंगे। हालांकि जब तक कहीं कुछ होता नहीं है तब तक इंतजार करना ही होगा।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

स्कैंडल की गप–शप

विधायकों का रिपोर्ट कार्ड

प्रदेश मन्त्रीमंडल में एक अरसे से फेरबदल की अटकलें खबरें बनती आ रही है। लेकिन कुछ देर तक अटकलों को चलने देने के बाद मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह इन खबरों को खारिज करते रहे हैं। वैसे अब तक फेरबदल हुआ भी नहीं है। अब 2017 में प्रदेश विधानसभा के चुनाव होने ही हैं। वैसे तो नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल भी कई बार प्रदेश में समय से पहले ही चुनाव हो जाने, सरकार के गिर जाने का भविष्य कथन कर चुके हैं जो अब तक तो फलित नहीं हो पाये हैं। पर यह कोई नही कह सकता कि कब उनके मुख में देवी सरस्वती का वास हो जाये और उनका कथन सत्य सिद्ध हो जाये।

लेकिन अब मुख्यमन्त्री के बेटे और प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष विक्रमादित्य सिंह ने मन्त्रीमण्डल में फेरबदल करके उसमें युवा चेहरों को शामिल करने की बात करके पूरे राजनीतिक परिदृश्य को ही बदल कर रख दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि युवा कांग्रेस विधायकों का रिपोर्ट कार्ड तैयार करेगी। उनकी बात में दम नजर आ रहा है क्योंकि युवा कांग्रेस के अध्यक्ष होने के साथ–साथ मुख्यमन्त्री का सपुत्र होने के नाते उनकी ताकत दोगुनी हो जाती है। फिर अगला समय तो वैसे ही युवाओं का है।

परन्तु कुछ हल्कों में यह चर्चा चल पड़ी है कि पिछले कुछ दिनों से जब से परिवार सीबीआई और ईडी की जांच के घेरे में चल रहा है तब से वह स्वयं भी इस चक्की का एक हिस्सा बन गये हैं। फिर यह हर घर की स्वभाविक कहानी है कि अक्सर ही घर के बड़ों के हर परेशानी वाले मामलों में आसानी से छोटों पर दोषारोपण शुरू कर दिया जाता है। भले ही किसी नुकसान में घर के बच्चों और औरतों की कोई भूमिका न रही हो परन्तु चर्चा उन तक पहुंचा दी जाती है। यहां भी इस बड़े घर की खबर रखने वाले इसके बच्चों और औरतों को कोसने लग पड़े हैं।

अब जब कोई अनचाहे ही ऐसी चर्चाओं का पात्र बना दिया और उसके सिर पर ताज भी हो तो उसे ताज और चर्चाओं दोनो को संभालने के लिये कोई बड़ी ही लकीर खींचनी पड़ेगी। कहते हैं कि विक्रमादित्य ने भी यह ब्यान देकर यही बड़ी लकीर खींचने का प्रयास किया है। क्योंकि विधायकों के रिपोर्ट कार्ड रखने का जो काम मुख्यमन्त्री या प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को करना चाहिये था उस काम को जब युवा कांग्रेस का अध्यक्ष अंजाम देने की बात करेगा तो निश्चित तौर पर यही पूछा जायेगा कि अब किसकी चलेगी बाप की या बेटे की।

पुलिस में हुई घटिया जैकटों की खरीद, राजभवन पहुंचा मामला

शिमला/शैल। प्रदेश की पुलिस फोर्स को दी गई खाकी जैकटें घटिया निकली है यह आरोप लगाते हुए पुलिस वैलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष रमेश चौहान ने 09/03/2016 को महामहिम राज्यपाल को एक मांग पत्र देकर इसका जांच करवाये जाने की मांग की है। चौहान अपने आरोप को पुख्ता करने के लिए इस सम्बन्ध में आर टी आई के तहत मिली जानकारी भी राज्यपाल को सौंपी है। स्मरणीय है कि पुलिस को खाकी जैकेट 2011 में लम्बे संघर्ष के बाद पुन: मिली थी। लेकिन चार साल बाद मिली यह जैकेट घटिया निकली है क्योंकि यह दो तीन माह बाद ही खराब हो गई है जबकि इसकी अवधि तीन वर्ष मानी जाती है।

जब इसकी शिकायत पुलिस मुख्यालय पहुंची तब 04/02/16 को इन जैकटों को परीक्षण हेतु रखा गया और इसके लिए एक कमेठी गठित की गई। इस कमेठी की रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि खाकी जैकेट में काफी कमियां है बल्कि इस जांच के लिए एस पी ऑफिस शिमला के स्टोर से दो नयी जैकेट मंगवाकर उनका परीक्षण किया गया जिसमें वह घटिया प्रमाणित हुई है। जैकेट खरीद की जांच की मांग के साथ ही पुलिस फोर्स को अतिरिक्त वेतन नये पे स्केल देने का मामला उठाते हुये आरोप लगाया है कि इससे फोर्स को 36 करोड़ का नुकसान हुआ है। इसी के साथ नीली कैप, ब्राऊन बूट एवंम बैल्ट का मुद्दा भी राज्यपाल के संज्ञान में लाया गया है।

राज्यपाल के समक्ष रखे गये इन मामलों पर राजभवन ने पुलिस और गृह विभाग से रिपोर्ट तलब की है। स्मरणीय है कि पुलिस द्वारा खरीदी जा रही वर्दीयों पर अक्सर घटिया होने के आरोप लगते आ रहे हैं। फोर्स से हर बार शिकायतें आती हैं जिन पर जांच की रस्म अदायगी भी होती रही है। लेकिन किसी भी जांच का कोई ठोस परिणाम आज तक सामने नहीं आया है। पुलिस फोर्स एक लम्बे समय से तीन प्रमोशन आठ घन्टे ड्यूटी और सप्ताह में एक अवकाश की मांग करती आ रही है। अब इस आश्य का जनहित याचिका 5604/2010 भी उच्च न्यायालय में दायर है। सबकी निगाहें इस याचिका के फैसले पर लगी है।

क्र. स.	वांछित सूचना	कार्यालय टिप्पणी
1	खाकी जैकिट के बारे में पूर्ण जाकारी दी जाए कि कहा से यह जैकिट ली गई है कब टैण्डर हुए है और यह जैकिट पहले सैम्पल से मेल खाते है।	जैकिट का दर ठेका M/s Mars apparels Parwanoo, district Solan Himachal Pradesh के पक्ष में दिनांक 05.01.2015 को हुआ था जैकिट की कीमत 687.75 थी और 3 वर्ष की अवधि के लिए दी जाती है। जैकिट की दर संविदा की छाया प्रति एवं हिमाचल प्रदेश की अधिसूचना संख्या न0. होम(ए)–ए(3)/2012 दिनांक 03.06.2013, की छाया प्रति संलग्न की जाती है।
2	काफी सारे पुलिस कर्मचारियों कि खाकी जैकिट 2 महीने में ही खराब हो गई है या फट गई है उपरोक्त पूर्ण जानकारी नोटिंग एवं कॉमेन्टस सहित दी जाए।	इस के सन्दर्भ में यह कहना है कि जैकिट के सम्बन्ध में 6th इंडिया रिजर्व वाहिनी से एपीटी की नस्ति पर मामला प्राप्त हुआ था जिसे Departmental Purchase Committee for Uniform के समक्ष 4.2.2016 को परीक्षण हेतु रखा गया था। Departmental Purchase Committee ने इस मामले को परीक्षण करने हेतु जिला शिमला से भी जैकट के दो पीस मंगवाऐ थे। जिस के सन्दर्भ में Departmental Purchase Committee की रिर्पोट इस प्रकार से है। (3 Pieces of Jackets of 6th IRBn were examined. It appears likely that the jackets have been damaged due to improper washing. The committee is not in a position to comment on the original quality of these 3 jackets as the same have been used and subjected to washing. However, the committee called for 2 new and unused Jackets from clothing store of SP Shimla for comparison with the muster sample of Jacket kept in PHQ. The Committee is of prima facie opining that the 2 Jackets from clothing store of SP Shimla were inferior in quality of Cloth and filling vis-à-vis the muster sample.)

ए एन शर्मा प्रकरण में

सर्वोच्च न्यायालय में सरकार की अपील हुई खारिज सरकार और विजिलैन्स को झटका

शिमला/शैल। धूमल शासन में पूर्व आई पी एस अधिकारी एएन शर्मा को एच्छिक सेवा निवृति के बाद पुन: नौकरी पर बनाए रखने में हुई नियमों की अनदेखी की शिकायत पर विजिलैंस ने बकायदा मामला दर्ज करके इसकी जांच की थी। जांच के बाद पूर्व मुख्यमन्त्री प्रेम कुमार धूमल, पूर्व मुख्य सचिव रवि डींगरा, पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह पी सी कपूर और आई पी एस ए एन शर्मा के खिलाफ इस प्रकरण का चालान विशेष अदालत में दायर किया था। विशेष अदालत में आए इस मामले को उच्च न्यायालय में चुनौति दी गई थी। उच्च न्यायालय के इस सन्दर्भ में दर्ज हुई एफआईआर को निरस्त करते हुए मामले को शुरू होने से पहले ही समाप्त कर दिया था। उच्च न्यायालय के फैसले से आहत हुई सरकार ने इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर कर दी थी जो कि अन्ततः खारिच हो गई।

इस मामले की शिकायत आने से लेकर इसमें हुई जांच और उसके बाद विशेष अदालत में पहुंचे चालान तक कानून के जानकार इसे बेहद कमजोर मामला करार दे रहे थे। लेकिन उच्च न्यायालय में हारने के बाद इसमें एस एल पी फाईल करने का फैसला लेना अब एस एल पी का डिसमिस हो जाना सरकार और पूरे विजिलैंस तन्त्र की नीयत और नीति पर गम्भीर सवाल खड़े करता है। क्योंकि यह एक ऐसा मामला था जिसमें सरकार को कोई राजस्व हानि नहीं हुई है क्योंकि ए एन शर्मा ने इस दौरान पद पर रहकर पूरी निष्ठा से काम करके वेतन लिया है और यदि वह ऐच्छिक सेवा निवृति का आवेदन न करते तो भी वह उसी तिथि को सेवा निवृत होते जिस पर बाद में हुए। फिर वीरभद्र सरकार ने भी दर्जनों सेवानिवृत अधिकारियों को पुन: नौकरी पर रखा है। यह मामला नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमन्त्री प्रेम कुमार धूमल को घेरने के लिए बनाया गया था। लेकिन इस मामले में हुई जांच के बाद जो चालान दायर हुआ था उसे निष्पक्षता से देखते हुए ये स्पष्ट हो जाता है कि यह एक बेहद कमजोर मामला बनाया गया था जिसका सफल होना असम्भव माना जा रहा था। क्योंकि इसमें कमियां थी।

आज इस मामले के सर्वोच्च न्यायालय में खारिच हो जाने से सीधे वीरभद्र सिंह को व्यक्तिगत स्तर पर एक बड़ा राजनितिक झटका माना जा रहा है क्योंकि इस समय वीरभद्र और धूमल परिवार में सीधा राजनीतिक टकराव सार्वजनिक रूप से खुलकर सामने है तथा उसमें वीरभद्र की लगातार हार होती जा रही है। अवैध फोन टैपिंग मामले से लेकर एच पी सी ए और धूमल संपत्ति मामले तक सरकार को कहीं कोई सफलता अब तक नहीं मिली है और न ही आगे मिलने की सम्भावना है। राजनीतिक और प्रशासनिक हल्कों में हर जगह यह चर्चा है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। बल्कि अब तो यहां तक कहा जाने लगा है कि अब धूमल के खिलाफ उठाया जा रहा हर कदम पूरी तरह असफल हो रहा है तो इस स्थिति को सुधारते हुए वीरभद्र सिंह को एच पी सी ए के खिलाफ विजिलैंस के सारे मामलों को तुरन्त प्रभाव से अदालतों से वापिस लेकर इन पर हो रहे सरकारी खर्च को तो रोक देना चाहिए। क्योंकि आज वीरभद्र और उनके चुनिंदा तन्त्र के अतिरिक्त जानकारी रखने वाला हर आदमी मानता है कि एच पी सी ए के हर मामले में बुनियादी कमियां है जिनके कारण इनका सफल होना संदिग्ध है और वीरभद्र के पास व्यक्तिगत तौर पर इन मामलों को देखने और समझने का समय ही नहीं है।

होटल विलो बैंक में करोड़ों का पानी

..पृष्ठ 1 का शेष

की सप्लाई दी गयी होगीं फिर इस होटल के निमार्ण को लेकर लगातार विवाद चलता रहा है । सरकार और नगर निगम का सारा शीर्ष प्रशासन विवाद से पूरी तरह जानकार रहा है । ऐसे में किसी भी स्तर पर कोई कारवाई ना किया जाना कई सवाल खड़े करता है। धूमल और वीरभद्र दोनो के शासन कालों में यह मामला बना रहा है। आज वीरभद्र और उनका बेटा उनके खिलाफ हो रही सी बी आई और ई डी की कारवाई के पीछे अरूण जेटली का प्रमुख हाथ होने का आरोप लगाते आ रहे हैं इस परिदृश्य में आज इस होटल से जुड़े इस वाटर घोटाले के खुलासे को भी इसी आईने में देखा जा रहा है।

जारी रहेगी अपराजिता और विक्रमादित्य

....पृष्ठ 1 का शेष

अपराजिता और विक्रमादित्य ने अधिनियम की धारा 5 के 2002 के मूल प्रावधानो के अनुसार ई डी की कारवाई को चुनौती दी है। जिसका लाभ 2013 के संशोधन के मुताबिक मिलना संभव नही लगता । 2002 में प्रोविजनल अटैचमैन्ट की अधिकतम सीमा 90 दिनो की थी जिसे 2013 में बढ़ाकर 180 दिन कर दिया गया है। प्रोविजनल अटैचमैन्ट के बाद 30 दिन के भीतर ई डी की अपनी एजुकेटिंग अथारिटी के पास की रिपोर्ट प्रेषित करनी होती है जो हो चुकी है। अटैचमैन्ट के बाद पूरी जब्ती की कारवाई 180 दिनो के बाद अमल में लायी जाती है लेकिन इस मामले में ग्रेटर कैलाश में मई 2014 में प्रतिभा सिंह द्वारा खरीदी गयी संपति की अटैचमैन्ट होने से इस पूरे प्रकरण की गंभीरता और बढ़ जाती है। इस परिदृश्य में अटैचैन्ट का निरस्त हो पाना कठिन माना जा रहा है।